अपराधी मस्तिष्क की पड़ताल के नए तरीके

प्रवीण कुमार

अधिकांश लोकतांत्रिक देश अपराध कबूल करवाने या सम्बंधित जानकारियां हासिल करने के लिए यातना वाले पुलिसिया तरीकों के खिलाफ हैं। जांच एजेंसियां आपराधिक मामलों में अक्सर पोलीग्राफ, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि इन्हें वैज्ञानिक जगत या कानून में सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नहीं है। हाल ही में भारत में आरुषि तलवार व नीरज ग्रोवर हत्याकांडों और तेलगी फर्जी स्टाम्प पेपर प्रकरण में इन तकनीकों का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत आलेख में ऐसी ही तकनीकों की विश्वसनीयता को परखने का प्रयास किया गया है।

जब किसी अपराध में उंगलियों के निशान या खून के धब्बों जैसे सुबूत नहीं मिलते तो जांचकर्ता 'थर्ड डिग्री' का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। इनमें भयंकर दर्द देने के तरीकों का उपयोग, जगाए रखना, सम्मोहित करना, लंबे समय तक काल-कोठरी में अकेले कैद रखना इत्यादि शामिल हैं। अपराध साबित करने के लिए सबूत जुटाने में ये विधियां कितनी कारगर हैं, यह सम्बंधित देशों की अदालतों में उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें अब तक मंज़ूरी नहीं दी है।

पूछताछ की सबसे प्रचलित पद्धति में आरोपी को इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि वह टूट जाए और सच्चाई उगल दे। मध्य काल में इस बात का पता लगाने के लिए कि संदिग्ध व्यक्ति ने अपराध किया है अथवा नहीं, उसे अग्नि परीक्षा या जल परीक्षा से गुज़रना पड़ता था। ऐसा माना जाता था कि अगर आरोपी बेकसूर है, तो भगवान उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे। इंग्लैंड में एंग्लो-सैक्सन व नार्मन्स दोनों समुदायों में ऐसी परीक्षाएं आम थीं। इसमें आरोपी को गर्म छड़ पकड़नी पड़ती थी या तालाब में उतरना पड़ता था। अग्नि परीक्षा में आरोपी को हुए घावों का तीन दिन बाद एक पादरी परीक्षण करता था। यदि घाव भरने लगते तो माना जाता था कि वह व्यक्ति निर्दोष है और भगवान ने उसके घाव भर दिए हैं। यदि घाव में मवाद पड़ जाता था तो व्यक्ति को दोषी मानकर या तो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता या फिर उसे कोई सज़ा दी जाती।

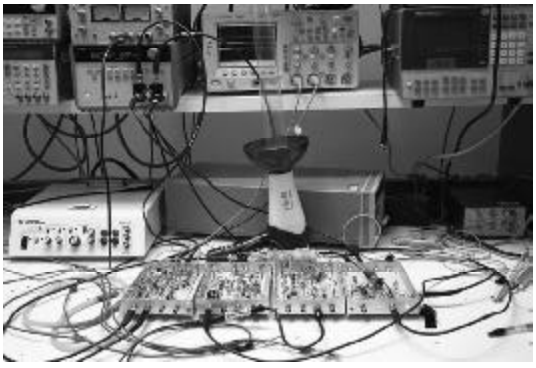

लोकतांत्रिक देशों में अधिकांश लोग संदिग्ध आरोपियों से जानकारी कबूलवाने के लिए 'थर्ड डिग्री' जैसी पद्धतियों के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में बढ़ती आतंकी कार्रवाइयों की वजह से यह नज़रिया बदल भी सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की फरवरी 2006 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी जांचकर्ताओं ने गुआंटानामो बे स्थित जेल में बंद 9/11 आतंकी हमले के संदिग्धों के साथ पूछताछ में 'जिनेवा संधि' के पांच सिद्धांतों में से चार का उल्लंघन किया। इसमें नींद से वंचित करना, ज़बर्दस्ती खिलाना इत्यादि तरीकों का उपयोग किया गया था। ये तरीके बाद में अमेरिकी सेना ने अबू गरेब जेल में बंद इराकी बंदियों के खिलाफ भी इस्तेमाल किए थे।

'वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन डॉट ओआरजी' द्वारा हाल ही में करवाए गए एक सर्वे के अनुसार 19 देशों में से पांच देशों की जनता ने आतंकियों को प्रताड़ित करने के तरीकों का समर्थन किया है। इन पांच देशों में भारत, तुर्की और नाइजीरिया भी शामिल हैं। इन पांच देशों में से भी भारत के सबसे ज़्यादा लोग (59 फीसदी) इसके समर्थन में थे। वैसे 19 देशों के जिन19,063

लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया था, उनमें से 57 फीसदी लोग आतंकियों को राज्य द्वारा प्रताड़ना देने के खिलाफ थे। हालांकि 35 फीसदी का यह भी कहना था कि अगर आतंकी कार्रवाईयों में निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो उन मामलों में वे 'थर्ड डिग्री' तरीकों का समर्थन करेंगे।

आधुनिक युग में संदिग्धों से सूचनाएं हासिल करने के लिए अग्नि परीक्षा और 'थर्ड डिग्री' का स्थान पोलीग्राफी, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग जैसी अत्याधुनिक विधियों ने ले लिया है।

पोलीग्राफ टेस्ट का आविष्कार विलियम मार्स्टोन मुल्टोन ने किया था। अमरीका में आम तौर पर पोलीग्राफ टेस्ट कर्मचारियों की भर्ती के दौरान उनकी जांच-परख के लिए किए जाते हैं, अपराधियों से पूछताछ के मामलों में नहीं। पोलीग्राफी को 'झूठ पकड़ने वाली मशीन' के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन इसे इस रूप में देखना पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल, इसमें व्यवस्थित रूप से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और फिर जवाब देने वाले की शारीरिक प्रतिक्रिया के आधार पर जांचकर्ता अनुमान लगाता है। पोलीग्राफ परीक्षण में फिज़ियोलॉजिकल रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है जो हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन दर और त्वचा की प्रतिक्रिया को मापता है और उन्हें एक कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करता है। हृदय गति कलाई पर बांधने वाले रक्तचाप मापी उपकरण से और श्वसन की दर व्यक्ति के सीने पर एक उपकरण बांधकर मापी जाती है।

जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जाना है, उसे पहले इस तकनीक के बारे में पूरी तरह बताया जाता है और साथ ही यह भी जताया जाता है कि किसी भी धोखाधड़ी को पकड़ने में यह यंत्र कितना माहिर है। जांचकर्ता यह ज़रूर सुनिश्चित करता है कि जिस व्यक्ति का परीक्षण करना है, वह सारे सवालों को अच्छी तरह से समझ ले। इन सवालों को नमूना सवाल परीक्षण (कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट) के रूप में रखा जाता है। इन सवालों के समकक्ष ही कुछ अन्य प्रासंगिक सवाल भी तैयार किए जाते हैं और इन दोनों सवालों के जवाबों की तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए प्रासंगिक सवाल में पूछा जाता है, 'क्या तुमने अपनी पत्नी की हत्या की?' जबकि नमूना सवाल बड़े सामान्य किस्म के होते हैं जैसे, 'क्या तुमने उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने तुम पर भरोसा किया था?' जब नमूना सवालों की तुलना में प्रासंगिक सवालों के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया बहुत अधिक होती है तो अनुमान लगाया जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अगर दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है तो परीक्षण को 'अनिर्णायक' माना जाता है।

पोलीग्राफ में ही एक और वैकल्पिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है जिसे 'गिल्टी नॉलेज टेस्ट' कहा जाता है। इसमें ऐसे सवालों को शामिल किया जाता है जिनके जवाब केवल दोषी ही जान सकता है, जैसे 'एक लाख रुपए चुराए गए या दो लाख रुपए?' हालांकि अगर इसमें जांचकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है, वह धोखा नहीं दे रहा है तो भी इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति निर्दोष ही हो। जानकारी का अभाव भी इसकी एक वजह हो सकती है। पोलीग्राफ परीक्षण की एक कमी यह भी है कि सवालों का जवाब देते समय एक ईमानदार व्यक्ति भी नर्वस हो सकता है। इससे शायद वह सवालों के जवाब सही ढंग से न दे पाए। वहीं दूसरी ओर झूठ बोलने में सिद्धहस्त व्यक्ति आसानी से इस परीक्षण में 'बेदाग' साबित हो सकता है। कुछ लोग तनावपूर्ण सवालों की शारीरिक प्रतिक्रिया को दबाना सीख लेते हैं। इसलिए पोलीग्राफ मशीन को 'डर पकड़ने वाली मशीन' कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। फोरेंसिक साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखरन लिखते हैं, "पोलीग्राफ के पीछे छिपा एक छोटा-सा गंदा रहस्य यह है कि यह परीक्षण चालबाज़ियों पर आधारित है, विज्ञान पर नहीं।"

पोलीग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही दर्शा सकता है कि एक सवाल पर तीखी भावनात्मक प्रतिक्रिया हुई। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया किस प्रकार की है, इस बारे में वह कुछ नहीं बता सकता। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रारूप ही विसंगतिपूर्ण है। डेविड थोरेसन लाइकेन का अनुमान है कि पोलीग्राफ परीक्षण लगभग 70 फीसदी तक सही साबित होते हैं, लेकिन यहां एक बात ध्यान में

रखनी चाहिए कि एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की संभावना भी 50-50 फीसदी तक होती है।

वैसे वैज्ञानिकों के बीच यह लगभग सर्वसम्मति है कि इन विधियों से हासिल तथ्यों या जानकारी को अदालतों के इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए।

नार्को एनालिसिस

जिस व्यक्ति का नार्को एनालिसिस किया जाना है, उसे विशेष प्रकार के रसायन, जैसे बार्बीट्यूरेट्स (आम तौर पर सोडियम पेंटोथाल) दिए जाते हैं। इससे व्यक्ति में एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है। इस नशे के प्रभाव में वह स्वयं नहीं बोल सकता, बल्कि साधारण व विशेष प्रकार के सवालों के केवल जवाब भर दे सकता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए तथ्यों के साथ खिलवाड़ करना मुश्किल होता है। इस प्रक्रिया की पूरी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। हालांकि कई अदालतें इस परीक्षण से प्राप्त सबूतों को इस आधार पर मान्यता नहीं देती हैं कि अर्द्ध चेतन व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वह सवालों के जवाब सही ढंग से दे सके। ब्रिटेन व अमरीका जैसे देशों में नार्को एनालिसिस को वैज्ञानिक आधार पर अमान्य घोषित किया जा चुका है। लेकिन भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देशों में संदिग्ध व्यक्ति की सहमति से नार्को एनालिसिस किए जाते हैं। फर्जी स्टाम्प पेपर प्रकरण के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी ने नार्को एनालिसिस में कथित रूप से अपने कुछ साथियों के नाम लिए थे जिनमें कुछ राजनीतिक हस्तियां भी शामिल थीं। हालांकि बैंगलूर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान पर आतंकी हमले के संदिग्ध आतंकवादी इमरान उर्फ बिलाल पर यह तकनीक काम नहीं आ सकी और उससे कुछ भी उगलवाया नहीं जा सका था। भारतीय संविधान की धारा20(3) के अनुसार नार्को एनालिसिस के दौरान हासिल सबूत अदालतों में मान्य नहीं हैं, क्योंकि यह उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ सबूत देने को मजबूर नहीं किया जा सकता।

ब्रेन मैपिंग

ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग का विकास 1990 के दशक में अमरीका स्थित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के लॉरेंस ए. फेरवेल ने किया था। इसमें संदिग्ध व्यक्ति को सावधानी से चुने गए शब्द या वस्तुएं एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं, जैसे हत्या में प्रयुक्त किया गया चाकू या किसी अपराध में इस्तेमाल की गई कार। उस व्यक्ति के सिर पर बंधे हेडबैंड में लगा सेंसर कंप्यूटर पर दिखाई गई छवि या शब्दों पर मस्तिष्क द्वारा जताई गई प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड कर लेता है। इन मस्तिष्क तरंगों या ईईजी का कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर द्वारा विश्लेषण किया जाता है।

ब्रेन मैपिंग में एक विशेष प्रकार की मस्तिष्क तरंग - पी-300 - पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह तरंग तब गतिशील होती है जब व्यक्ति कोई जानी-पहचानी वस्तु देखता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति पर पीली शर्ट पहने एक व्यक्ति की हत्या का संदेह है तो उसे कंप्यूटर पर पीली शर्ट, लाल शर्ट और नीली शर्ट शब्द दिखाए जाएंगे। उस संदिग्ध व्यक्ति के मस्तिष्क की तरंगें जिस पैटर्न में प्रतिक्रिया दर्शाएंगी, उस आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। यह प्रणाली भी संदेह से परे नहीं है। अमेरिका में भी इसे बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त नहीं है।

पोलीग्राफी, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग को केवल जांच में मददगार तरीकों के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। डॉ. चंद्रशेखरन के अनुसार ये एक प्रकार से 'थर्ड डिग्री मनोवैज्ञानिक' तरीके ही हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***

स्रोत सजिल्द

स्रोत के पिछले अंक

एक वर्ष सजिल्द रुपए 200.00। डाक खर्च रुपए 25.00 अतिरिक्त ।